न्यूज लेटर

सेतु

centreforchildprotection.org

Centre for Child Protection (CCP)
A Unit of Sardar Patel University of
Police, Security & Criminal Justice

● अंक 1 ● अगस्त 2015

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण को समर्पित

निदेशक की कलम से

बच्चे एवं पुलिस समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू है जहां बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण एवं प्यार की जरूरत है वहां पुलिस समाज में सुरक्षा, भय से संरक्षण स्थापित करने के उद्देश्य से बनी महत्वपूर्ण इकाई है। समाज में किसी भी कारण से डर, उपेक्षा एवं असुरक्षित महसूस करने वाले बच्चे का प्रथम सम्पर्क सूत्र पुलिस है। बच्चे चाहे वे विधि विरूद्ध किशोर के रूप में हो अथवा पीड़ित के रूप में दोनों ही के संदर्भ में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अपचारी/विधि विरूद्ध बच्चे को अपराधी की नज़र से नहीं अपितु एक पीड़ित की तरह देखने की आवश्यकता है। पुलिस का यह कर्तव्य है की वह पीड़ित बच्चे के संरक्षण में सहयोग करे।

बच्चों को आयु एवं अपरिपक्वता के संबंध में विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसी वजह से अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अधिकार प्रदान किये है। भारत के संविधान में बच्चों की स्वतन्त्रता, जीवनशैली, बाल–विकास, भेदभाव रहित अवसर, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा, खानों–कारखानों एवं परिसंकटमय उद्योगों में नियोजन पर प्रतिबंध आदि से संबंधित अनुच्छेदों एवं अधिनियमित कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का गठन किया गया है, जो सीधे तौर पर बच्चों से संबंधित विधिक उपबन्धों के संबंध में पुलिस कार्मिकों, लोक एवं निजी संस्थाओं तथा आमजन को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है।

मुझे आशा है कि 'सेतु' बाल अधिकार एवं संरक्षण से जुड़ी जानकारी एवं गतिविधियों को अपने विभिन्न संस्करणों के माध्यम से आप तक पहुंचाने में सफल रहेगी। आप के सुझाव सादर आमन्त्रित है।

धन्यवाद

भूपेन्द्र सिंह आई.पी.एस.

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन , सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्थापना

सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की एक पहल

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन (बाल संरक्षण केन्द्र) की स्थापना सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन 06 मई, 2015 को की गई, इसका कार्यालय, जयपुर में है। केन्द्र का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक माननीय श्री मनोज भटट्, कुलपति एस.पी.यू.पी. माननीय श्री एम.एल कुमावत तथा प्रति कुलपति एस.पी.यू.पी. एवं सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन के निदेशक माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया।

सेन्टर के उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अधिकारों के सकारात्मकता के लिए न्याय संगत, सुरक्षित समर्थकारी वातावरण को बढ़ावा देना है।

इस सेन्टर की परिकल्पना बाल अधिकार, विशेषकर बाल सुरक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करने वाले अग्रणी अभिकरण की स्थापना के रूप में की गई है।

''अगर हम दुनिया में कभी भी सच्ची शान्ति चाहते हैं तो हमे शुरूआत बच्चों से करनी होगी''

– महात्मा गाँधी

सन्देश

यह अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा बाल अधिकारों के सरंक्षण के लिए स्थापित सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन अपने न्यूज लेटर 'सेतु' के प्रथम संस्करण को प्रकाशित करने जा रहा है।

भारत बच्चों एवं युवाओं का देश है। बच्चे ही वर्तमान एवं विश्व की अमूल्य संपदा है। इस युवा शक्ति को सृजनात्मक तरीके से शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिये सरंक्षण एवं उचित मार्गदर्शन कि आवश्यकता है। इसी दिशा में जन जागरूकता लाने के लिए सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्यरत है। आशा है कि सेंटर का प्रकाशन 'सेतु' बाल अधिकार एवं सरंक्षण से सम्बंधित प्रशासनिक विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, पुलिस तथा जन सामान्य के बीच संवाद स्थापित करने में सक्षम होगा। सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल अधिकार सरंक्षण के लिये किये जा रहे प्रयास सराहनीय है। सेंटर अपने उद्देश्य में सफल हो, ऐसी मेरी कामना और विश्वास है।

एम. एल. कुमावत
कुलपति

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेन्टर के उद्देश्य एवं मुख्य कार्य :

उद्देश्य :

- विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव तस्करी विरोधी इकाई एवं बच्चों से जुड़े अन्य अधिकारियों की क्षमता विकास के लिए तकनीकी एवं अग्रणी अभिकरण के रूप में स्थापित होना।
- बाल अधिकार विशेषकर बाल सुरक्षा से संबन्धित अनेक छोटे व लम्बे अवधि वाले पाठ्यक्रम विकसित करना एवं लागू करना।
- बाल सुरक्षा एवं बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित एवं संवेदनशील मानव संसाधन विकसित करना।
- बाल सुरक्षा / संरक्षण के लिए ज्ञान एवं संदर्भ केन्द्र के रूप में स्थापित होना।
- बाल सुरक्षा / संरक्षण पर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं की जानकारी, तकनीकी, शोध, सम्बन्धित जरूरतों की पहचान एवं सहयोग करना।
- बच्चों के विकास / संरक्षण / सुरक्षा पर काम करने वाले विभिन्न संस्थाओं को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।

मुख्य कार्य :

- बच्चों की सुरक्षा से संबन्धित अनेक कानून के क्रियान्वयन में सहयोग।
- बाल अधिकार / सुरक्षा संबन्धित नियम कानून एवं योजना के संदर्भ में जागरूकता फैलाना।
- बाल अधिकार / सुरक्षा संबन्धित शोध एवं प्रकाशन करना।
- बाल अधिकार / सुरक्षा के उभरते एवं ज्वलंत मुद्दों की चर्चा एवं परिचर्चा के लिए मंच प्रदान करना।
- बाल अधिकार / सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए पैरवी करना।
- बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अनेक हितधारकों के क्षमता संबन्धित कमियों को पहचानना और जरूरत अनुसार क्षमता, विकास प्रशिक्षण / पाठ्क्रम संचालित करना।

टोंक जिला बनेगा बाल मित्रवत

टोंक, 06–07 जुलाई, 2015 सेन्टर फॉर सोशल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं जिला पुलिस प्रशासन टोंक के द्वारा यूनिसेफ, राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण के आधार पर टोंक जिले को बाल मित्रवत मॉडल जिले के रूप में बनायें जाने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिले से सी. डब्ल्यू.सी., जे.जे.बी. पुलिस अधिकारियों, सी.एल.जी. सदस्यों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगवान लाल सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती रेखा गुप्ता जिला कलेक्टर टोंक एवं श्री दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, टोंक के द्वारा उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति, श्रीमति अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक, आर.पी.ए.,जयपुर एवं श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विशेष रुप से सत्रों के दौरान अतिथि के रुप में विद्यमान थे एवं उनके द्वारा बाल संरक्षण से जुडे विभिन्न मुददों पर व्याख्यान दिया गया।

इसके लिए प्रथम चरण में जिलें के सभी पुलिसकर्मियों को बच्चों से सम्बन्धित कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणों में कानूनी पहलूओं सहित बच्चों के साथ उनकी गरिमा के अनुकूल व्यवहार करने सहित बच्चों पर लागू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं मानकों की जानकारी दी जावेगी। इससे पुलिस बच्चों के साथ सामान्य एवं विधिक व्यवहारों के लिए बेहतर समझ बनाकर उचित व्यवहार, दक्षता अर्जित कर संवेदनशीलता से बच्चों से सम्बन्धित कार्यवाही करेंगे एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकेंगे।

बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था पर कार्यशाला

जयपुर, 26 जून, 2015 को पुलिस मुख्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका आयोजन सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के द्वारा किया गया, जिसमें बच्चों एवं पुलिस के विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाले प्रतिनिधिगण ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एवं अध्यक्षता सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बाल संरक्षण केन्द्र के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में यूनिसेफ, डूंगरपुर पुलिस एवं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बनाये गए दस्तावेज ''बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था'' नाम से लिखी गई राज्य सरकार की विस्तृत सोच एवं विजन का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा संबंधित विषय पर सभी प्रतिभागियों से चर्चा एवं विचार लिए गए। यह दस्तावेज सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन के तत्वाधान में राज्य के गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों के लिए दिशा निर्देश एवं नीति दस्तावेज के रूप में जल्द ही पूरे राज्य में लागू किये जाने की संभावना व्यक्त की गई।

बाल अधिकारों के संरक्षण मे विधिक सेवाओं की भूमिका पर संगोष्ठी

जोधपुर, 28–29 मार्च, 2015 को दो दिवसीय संगोष्ठी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं यूनिसेफ के सयुंक्त तत्वाधान में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर एवं राजस्थान राज्य के मुख्य न्यायाधीश माननीय सुनिल अंबवानी की अध्यक्षता में संम्पन्न हुआ । जिसमें राज्य के सभी जिलों के मुख्य न्यायिक अधिकारीगण एवं राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पदाधिकारियों को मिलाकर 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में बच्चों के अधिकारों से जुड़े सभी महत्वपुर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल हिंसा, बाल पलायन, बाल शिक्षा आदि की स्थिति एवं विधिक सेवाओं की व्यवस्था के सुदृढीकरण करने पर चर्चा की गई। पूरे राज्य की न्यायिक व्यवस्था को बाल मैत्री बनाने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपनी कटिबद्धता दिखाई एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने राज्य को निर्देशित किया कि अतिशीघ्र बच्चों को लेकर कार्य योजना बनाई जाऐ एवं इस कार्य योजना का कियान्वयन सुनिश्चित की जायें।

बच्चों एव महिलाओं के सड़क सुरक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

जयपुर 06–07 मई, 2015 को राजस्थान पुलिस अकादमी के सभागार में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सड़क सुरक्षा केन्द्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से लगभग 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अंतिम दिन राज्य के गृह मत्री माननीय गुलाब चंद कटारिया, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एम. एल. कुमावत, यूनिसेफ के राजस्थान प्रमुख श्री सैम्युवल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विपदा के रुप में देखें जाने की आवश्यकता बताई। नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन देश में 14 वर्ष से कम उम्र के 20 से ज्यादा बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। बच्चों एवं महिलाओं का सड़क पर सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्धें पर व्याख्यान हुये एवं इसमें दिये गये सुझावों को सम्मलित करते हुऐ कार्ययोजना बनाई गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभाग, संस्था एवं अन्य एजेन्सियों की भूमिका तय की गई।

समझे बाल अधिकारों को

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1989 में बाल अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया। यह उपलब्धि पिछले छः दशक के विभिन्न हितधारको के पैरवी एवं निरन्तर मांग के कारण सम्भव हो पाया था।

बाल अधिकारों के घोषणा विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहली बार इस घोषणा पत्र के द्वारा विश्वव्यापी समुदाय ने बच्चों से जुड़े अधिकारों को ना केवल अपनाया अपितु इस घोषणा पत्र को अनुसमर्थन करने वाले देशों के ऊपर यह नैतिक दबाव डाला गया कि वो अपने देश के नीति, नियम एवं कानून अथवा कार्यक्रमों को बच्चों के लिए अनुकूल बनायें जिनसे उनके अधिकारों के हनन को रोका जा सके तथा उन्हें सर्वांगीण विकास के हर अवसर प्रदान किए जा सके।

बाल अधिकार घोषणा पत्र इस मूल अवधारणा पर आधारित है कि बच्चे ;अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, अपने जन्म से मूलतः आजादी एवं मानव अधिकारों को प्राप्त करते हैं परन्तु अपनी उम्र के कारण उनकी विशिष्ट जरूरत एवं जोखिम होते है। संयुक्त राष्ट्र को बाल अधिकारों के घोषणा पत्र बच्चों के इन जरूरतों एवं जोखिम को केन्द्र में रखता है।

इस प्रपत्र में 54 अनुच्छेद हैं। यह सभी अनुच्छेद बच्चों की विशिष्ट जरूरतों के लिए सिद्धान्तों, मानकों एवं कार्यान्वयन मार्गदर्शन का सम्पूर्ण ढांचा प्रस्तुत करते हैं।

इनमें से 1 से 40 तक के अनुच्छेद घोषणा पत्र के स्थायी प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करते है। अनुच्छेद 42–45 घोषणा पत्र के कार्यन्वयन एवं अनुश्रवण से सम्बन्धित है , अनुच्छेद 46 से 54 में बाल अधिकारों के विविध आयामों से संबंधित सामान्य अनुच्छेद है।

बाल अधिकारों की घोषणा पत्र की उपयोगिता

- बच्चों से सम्बन्धित सभी अधिकारों को एक जगह पर वर्णित करता है।
- हमें यह समझ प्रदान करता है कि बच्चों के चंहुमुखी विकास के लिए सभी वर्णित अधिकारों की अनुमति आवश्यक है।
- वयस्क के नजरिये में बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है।
- यह सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होता है।
- विश्व के 195 देशों ने इस घोषणा पत्र का अनु समर्थन किया है – जो कि विश्व स्तर पर किसी भी घोषणा पत्र के लिए प्राप्त स्वीकृति से ज्यादा है।
- यह घोषणा पत्र हमें बच्चों के अधिकारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति संरचना प्रदान करते है जिसे बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।
- बाल अधिकारों की जानकारी ही उनकी प्राप्ति में सहायक हो सकती है।
- बाल अधिकारों के घोषणा पत्र की रिर्पोटिंग प्रक्रिया देशों पर प्रभाव डालते है कि वो इसके कार्यान्वयन को गति प्रदान करें।

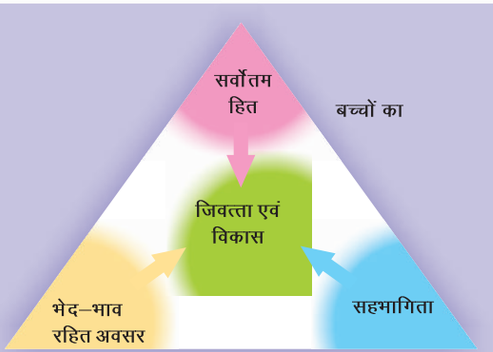

बाल अधिकार की धाराओं को मुख्यत 4 भागों में विभाजित किया है

1. जिवित्ता के अधिकार
2. विकास के अधिकार
3. सुरक्षा के अधिकार
4. सहभागिता के अधिकार

राजस्थान में बच्चों की स्थिति

राजस्थान में लगभग 6 करोड़ 80 लाख लोग निवास करते हैं उसका 43 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। अगर हम इन बच्चो की स्थिति को देखते है तो देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी निचले पायदान पर हैं । जहां राजस्थान ने पिछले 10 सालों से आर्थिक रूप से काफी विकास किया है वहीं बच्चों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आंकडो का विश्लेषण करने पर स्थिति निराशानजक ही है :

सूचकांक	स्थिति	राजस्थान का देश में स्थान	आंकडा स्त्रोत
बालश्रम	9.60 लाख	तीसरा स्थान	जनगणना 2011
18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का विवाह	58 प्रतिशत	तीसरा स्थान	एन.एफ.एच.एस. 3 2005–06
मातृ मृत्युदर	255	तीसरा स्थान	एस.आर.एस. दिसम्बर 2013
नवजात शिशु मृत्युदर	35	चौथा स्थान	एस.आर.एस. 2012
कुपोषण	44 प्रतिशत	तेरहवां स्थान	एन.एफ.एच.एस. 3, 2005–06
बाल लिंगानुपात	888	छठा स्थान	जनगणना – 2011
बिना शौचालय	65 प्रतिशत	छठा स्थान	जनगणना – 2011

इस प्रकार जिस राज्य की आर्थिक विकास दर पिछले 10 वर्षों में औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक से ज्यादा रही है वहां बच्चों से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करती है कि आज बच्चों के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण में कानूनी सेवाओं की भूमिका पर अधिक काम करने एवं राज्य को ज्यादा खर्च एवं सुदृढ व्यवस्था ग्राम से लेकर राज्य स्तर पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

क्या है बाल सुरक्षा ?

बाल सुरक्षा की अवधारणा बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसा शोषण उपेक्षा एवं दुरूपयोग से जुड़ी हुई है। आज हमारे देश में लाखों बच्चे बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के हनन के शिकार है। इसके प्रभाव हम बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल यौन हिंसा, बाल तस्करी, बाल हिंसा के रूप में हमारे सामने है।

बाल सुरक्षा	हर बच्चे का अधिकार।
बच्चा ?	18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति।
क्या ?	हर बच्चे को शोषण उपेक्षा, दुरूपयोग, पारिवारिक अलगाव, असुरक्षित प्रवास के खतरे, जोखिम और मार–पीट से सुरक्षा।
कैसे ?	व्यवहार, प्रथा, कानून, सेवा को बच्चों के प्रति अनुकूल बनाकर।
कहाँ ?	जहाँ भी बच्चे हो, परिवार, समाज, समुदाय, संस्थाएं, पुलिस हिरासत में।
किसके द्वारा ?	समस्त कर्तव्यवाहक – माता – पिता, समाज, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, पंचायत जनप्रतिनिधी एवं पुलिस।
क्यों ?	ताकि बच्चे अपने समस्त अधिकारों को पा सकें एवं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जीवन का आनन्द उठा सके,अपने समाज और देश के विकास में योगदान कर सके।

बच्चों से जुड़े देश के कुछ अहम् कानून

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

यह कानून विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2000 में पारित किया गया।

सन् 2014 में इस कानून में बदलाव प्रस्तावित करते हुए नया विधेयक लाया जा रहा है जिसमें मुख्य बदलाव 16–18 वर्ष के बच्चों के द्वारा जघन्य अपराध करने की स्थिति में सामान्य व्यस्क अपराधी के तहत देखा जाएगा तथा मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त किसी भी सजा से दण्डित किया जा सकेगा।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

यह कानून बाल विवाह के रोकथाम के लिए एक समग्र व्यवस्था को विकसित करने की बात करता है और इस अधिनियम को 1 नवम्बर 2007 को देश भर में लागू किया गया था। इसके तहत् बाल विवाह करवाना कानूनी अपराध माना गया है जिसके तहत् 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह को बाल विवाह माना गया है, जिसमें बाल विवाह जैसा कृत्य करने या करवाने वाले को 2 वर्ष की सजा एवं 1,00,000 रुपया तक की जुर्माना का प्रावधान है।

लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012

देश में बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु इस कानून को लागू किया गया है।अधिनियम में किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उनके गुप्त अंगो को छूना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से करवाना, टिप्पणियाँ एवं गालिया देना, सहित अश्लील सामग्री का संधारण एवं लैंगिक कार्यो के लिए बच्चों को बेचना भी अपराध के रूप शामिल किया गया है। साथ ही लैंगिक दुरूपयोग के लिए बच्चों की तस्करी भी दण्डात्मक अपराध है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बाल अधिकारों के हनन् के मामले की जांच के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून को भारत सरकार नें कानून 2005 को पारित किया गया।

इस कानून की धारा 17 के तहत् राजस्थान राज्य बाल अधिकार/संरक्षण आयोग (आर.एस.सी.पी.सी.आर.) का 23 फरवरी, 2010 की अधिसूचना के जरिये गठन किया गया ।आयोग की मुख्य भूमिका है कि बच्चों के ऊपर हो रहे हिंसा या उनके अधिकारों के हनन को रोक सकें एवं इसके विरुद्व कारवाई कर सके।

प्रश्न

1. भारत देश में कौन–सा एक राज्य है जहां बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर अलग विभाग बनाया गया है एवं उस विभाग का क्या नाम है?
2. बाल अधिकार किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में पारित किया गया?
3. बाल संरक्षण के लिए देश का कौन सा कानून सबसे महत्वपूर्ण है?
4. राजस्थान के लगभग कितनी प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है?
5. बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध को रोकने के लिए कौनसा कानून बनाया गया है?

बाल तस्करी की रोकथाम

1. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कानूनी या गैर कानूनी तरीके से देश के अन्दर या सीमा पार जोर जबरदस्ती करके / छल कपट या धोखा या प्रेम से / झूठ बोलकर या बहला फुसलाकर / अपने बल और क्षमता का प्रयोग करना।
2. व्यक्ति को कमजोरी और संवेदनशीलता का फायदा उठाकर / नगद राशि के आदान–प्रदान के जरिये या अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या एक जगह रोककर रखना।
3. उसका शोषण करने के इरादे से या फिर यह जानते हुए कि यह सब उसके शोषण का कारण बन सकता है या शोषण की पूरी संभावना है।

बाल तस्करी से कैसे बचाव करें :

स्कूल स्तर पर :

- अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल नही आता है तो उसके बारे में पता करें।
- बच्चा अगर किसी भी प्रकार की मजदूरी या कारखाने में काम करने जाता है तो स्कूल या पंचायत को शिकायत करें।
- क्षेत्र में स्थापित थाने के बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करे।
- जिले में स्थापित चाइल्ड लाइन (1098) को सूचित करना।

बाल अधिकारिता

मुक्त कराये गये बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो, को पंजिकृत राजकीय / स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह के जरिये देखरेख सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर :

उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से बाल तस्करी एवं बच्चों के पलायन पर विशेष निगरानी की जायेगी। ऐसे बच्चे जिनकी तस्करी या बडे स्तर पर पलायन की सम्भावना है उनकी तत्काल सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी।

बाल कल्याण समिति

पीडित बच्चों को राजस्थान पीडित प्रतिकार योजना, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत मुआवजा दिलाया जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग

अनैतिक कार्यो में लिप्त महिलाओं एवं बालिकाओं की पहचान कर उनकी महिला समिति, प्रचेता, साथिन, आशा सहयोगिनी के सहयोग से आवश्यक कांउसलिंग करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- छापे के दौरान मुक्त कराये गये बच्चों का बाल कल्याण समिति / जिला प्रशासन के आदेश से मारपीट / आयु निर्धारण / बलात्कार सम्बन्धी का चिकित्सीय परीक्षण किया जावेगा तथा सूचना सम्बन्धितों को उपलब्ध करायी जायेगी।

एडीजीपी ने दी सलाह › बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला में की चर्चा

संयुक्त कार्रवाई करे पुलिस

टोंक @ पत्रिका
patrika.com

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक बी. एल. सोनी ने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस टीम में पुलिस के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास, बाल कल्याण समिति व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए।

सोनी सोमवार को टोंक कलक्ट्रेट में बाल संरक्षण विषय पर पुलिस, सीएलजी, बाल कल्याण

मां को बच्चा कैसे दिलवाए

पुलिस निरीक्षक रामचन्द्र ने कहा कि भादसं की धारा 498 ए में दहेज प्रताड़ना का मामल दर्ज होता है तो विवाहिता पीह आ जाती है, लेकिन उसके बच्चे पति के पास रहते हैं। में वह बाद में बच्चा दिलवा की गुहार करती रहती है। जबकि दहेज के मामले में कैसे करें। इस पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने सलाह दी कि वे दहेज प्र के मामले में कुछ नहीं क सकती, लेकिन बच्चे के में विवाहिता समिति के पेश हो सकती है।

- बच्चों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण में आने वाला खर्च विभाग के स्वयं के स्तर से किया जायेगा।

जिला प्रशासन

- प्रत्येक मुक्त कराये गये बाल श्रमिक को सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से बयान दर्ज किया जाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि वह बाल श्रमिक बंधक श्रमिक तो नहीं है। उक्त के अनुरूप नियोजनकर्ताओं के खिलाफ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कि जायेगी तथा बाल श्रमिकों को नियमानुसार पुनर्वासित किया जायेगा।

गृह विभाग (लोक अभियोजक / पीडित के अधिवक्ता)

- बाल तस्करी करने में नियोजित संबंधित व्यक्ति / नियोक्ता / दलाल एवं इस तस्करी में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत होगें तब इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा।
- ऐसे व्यक्तियों / नियोक्ता / दलाल से अग्रिम पूछताछ के लिए इनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जायेगी तथा संबंधित जॉच अधिकारी को समस्त विधिक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रकरणो में माननीय न्यायलय के समक्ष पीड़ित बच्चों के पुर्नवास एवं अन्य आवश्यक मागें रखी जायेगी।

बाल तस्करी करने वाले व्यक्ति / दलाल के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही :

- भारतीय दण्ड संहिता की प्रांसगिक धाराओं मुख्यतः 34, 120बी, 344, 363, 366, 370, 370(4), 370(5), 370ए, 374, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23, 26 एवं लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 तथा आईपीटीए, एवं अन्य प्रांसगिंक अधिनियम एवं धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार किया जायेगा।
- नियोजनकर्ताओं के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिबंधित एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 14, न्यूनतम मजदूरी एवं समान परिश्रमिक अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 की धारा 25, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 16, 17, 18, 19, 20 एवं 23, खान अधिनियम एवं ठेका श्रमिक प्रतिबन्ध एवं विनियम अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

हलचल : देश का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल हित में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले

नीशा बागची बनाम भारत गणराज्य,
एस.सी. 303 दिनांक 31.07.2015

कोर्ट ने आने वाले तीन हफ्तों में विधि से संघर्षरत किशोर के उम्र निर्धारण हेतु मार्गदर्शिका प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायलय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पूर्ण सूचना नही प्रेषित करने के स्थगन की मांग के लिए रूपये 25000 का जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए है।

बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत गणराज्य,
एस.सी. 302 दिनांक 31.07.2015

सर्वोच्च न्यायालय ने गुमशुदा बच्चों से संबधित आकड़ो में भिन्नता जो कि राज्य सभा में तथा अदालत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पेश किए गए। अदालत ने ऐसी भिन्न आंकडो की प्रस्तुति पर मंत्रालय से सख्ती बरतते हुए उनकी कार्यवाही स्थगन के निवेदन को रूपये 25000 के जुर्माने पर मंजूर किया।

तमिलनाडू के अनाथालय में बाल शोषण बनाम भारत गणराज्य,
एस.सी. 301 दिनांक 31.07.2015

सर्वोच्च अदालत ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के धारा 36 के अर्न्तगत सामाजिक अंकेक्षण की नीति निर्धारण के लिए प्रस्तावित कमेटी के संरचना पर असंतोष व्यक्त करते हुए महिला विकास मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वो कमेटी को और वृहद स्वरूप देते हुए बाल मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाऐं, शैक्षिक संस्थाऐं, शोध संस्थाऐं, विषय विशेषज्ञों को इसमें शामिल करें तथा मिटिंग को विस्तारित एवं जरूरतानुसार बार – बार करें।

बातचीत : अरविन्द कुमार कुमावत कान्सटेबल नं. 3780 से :

अरविन्द कुमार ने अपनी सर्विस की शुरूआत चित्तौड़गढ़ से की है। 1998 में जयपुर ट्रान्सफर हो कर आ गये थे। यहाँ पर कई थानों पर सेवाऐं दीं हैं। 16 नवम्बर 2012 कों मानव तस्करी यूनिट में ट्रान्सफर हेा गया था। नया थाना, नया काम समझने में देर लगी, अब रम गये हैं। अरविन्द जी का कहना है 23 साल की सर्विस में ढाई साल मानव तस्करी यूनिट में मन को अच्छा लगा है। 69 प्रकरण दर्ज कराये हैं। 123 अभियुक्त को अरेस्ट किया है। 886 बच्चों को मुक्त कराया है।

अपने कार्य के बारे मे कुछ बताएं

मेरे काम करने का तरीका अलग है। आफिस से घर जाने के बाद, अकसर शाम 6.30 बजे के बाद में घूमता हूँ। विद्याधर नगर, अमानीशाह का नाला,शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, पानी की टंकी रामगंज, गलता गेट, मानबाग, सब इलाको का चक्कर लगाता हूँ। यह सब इलाके उत्तर जिले में आते हैं। मैं खुद रेकी करता हूं। कुछ मुझे सूचना देते हैं। इसलिये 886 बच्चे मुक्त कर पाया हूं।

बच्चों से जुड़े हुए कार्य को करने का अनुभव कैसा है?

कई बार बच्चों को काम करते हुए देखकर अपने बच्चों का ध्यान आ जाता है। पहले नहीं होता था। पर अब दुखी हो जाता हूं। सरकार ने मुझे यह बहुत अच्छा काम दे दिया है। मेरी इच्छा है मैं रोज बालकों को मुक्त करांऊ । बड़े कष्ट में रहके बच्चे काम करते हैं।

किस प्रकार की अड़चनें आती है?

यूनिट में संसाधनों की कमी है। कमरा भी स्थाई नही है। बच्चों को छुडाते हैं तेा जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अपना संसाधन नही होने पर परेशानी होती है।

अब तक किए गए कार्य मे सबसे बड़ी उपलब्धी किसे मानते है?

जब बच्चे रेलवे स्टेशन पर बड़ी खुशी से रेल में बैठ कर कहते हैं सर जी अब घर जायेंगे तो, वह सबसे बडा संतोष का क्षण होता है। मुझे लगता है अच्छा नागरिक बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए पर बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए।

इस तरह के कार्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?

स्थिति को बदलने के लिए सबको आगे बढ कर मिलकर काम करना हो और सभी बच्चों को एक समान देखना होगा।

हमारे प्रेरणा स्रोत

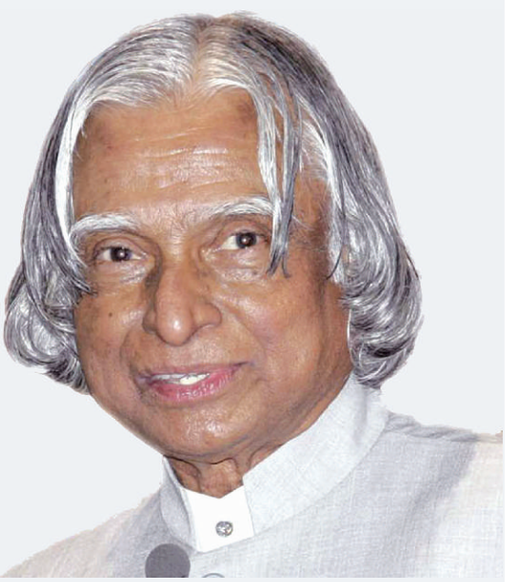

''हम केवल तभी याद किये जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सके जो की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरुप प्राप्त हो।''

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
1931-2015

उत्तर

1. राजस्थान, बाल अधिकारिता विभाग
2. 20 नवम्बर 1989
3. किशोर न्याय (बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000
4. 58 प्रतिशत
5. लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण के विरुद्व अधिनियम 2012 (पोसको 2012)

स्नेह आँगन ''वन स्टॉप क्राइसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन''

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) व जयपुर, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर तथा युनिसेफ राजस्थान क सहयोग से स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन) की शुरूआत 28 जून 2014 को महिला थाना, जयपुर में की गई जिसने अब एक वर्ष पूरा कर लिया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस संपर्क की प्रथम कड़ी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि पुलिस का प्राथमिक कार्य आमजन को सुरक्षा प्रदान कर समाज में भयमुक्त वातावरण एवं संरक्षण प्रदान करना है। बच्चों के अधिकारों जिनमें उनकी गरिमा, हितों, अबोधपन, सुरक्षा, समानता, निजता तथा उनके प्रति समाज तथा परिवार की जिम्मेदारियॉ सम्मिलित हैं, के संरक्षण करने के लिये बल प्रयोग के स्थान पर पुलिस द्वारा स्वंय को उनके शुभचिन्तक मित्र के रूप में प्रस्तुत कर एक भयमुक्त वातावरण देने के दिशा में एक प्रयास है।

यह केन्द्र पूरे राज्य में एक मॉडल के रुप में बनाया गया है, जिसके तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) मानव तस्करी विरोधी इकाई (ए.एच.टी.यू.) मिसिंग सेल एवं सहयोगी स्वयं सेवी संस्था आर.आई.एच. आर. के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्ष पूर्व गठित की गई थी जो सफल रुप से कारगाार साबित हुई है। एक वर्ष में 450 से ज्यादा बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है, जिसमें से 394 बाल श्रम, 26 मिसिंग (लापता), 5 बाल शोषण, 12 बाल लैंगिक हिंसा एवं अन्य विषयों से जुड़ी बच्चों की जिन्दगी सवारी है।

यह अपने आप में बच्चों से जुड़ी समस्याओं का पुलिस स्तर पर एक छत के नीचे उपलब्ध किये जाने के क्षेत्र में अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। इसे पूरे राज्य के सभी जिलों में लागू किये जाने की संभावनाओं की विश्लेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मदारी बस्ती मे एक दिन

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन में कार्यरत टीम ने बाल संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के मकसद से मदारी बस्ती में अभियान किया

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार एवं आमजन, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासो से अवगत कराना है। इस न्यूज लेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

संपादकीय टीम

डॉ. भूपेंद्र सिंह, डॉ. निशान्त कुमार ओझा, प्रवीन सिंह, कल्याणी शर्मा, संजय निराला, गोविंद बेनीवाल शिव सिंह नायल

केस स्टडी

दिनांक 6.4.2013 को चाइल्ड़लाइन कोटा में कॉलर का कॉल आया कि एक 9–10 वर्शीय बालिका से मकान सं. सी.39 सुभाश कॉलोनी,खेड़ली फाटक, कोटा में गत कई महिनो से घरेलू कार्य करवाया जा रहा हैं।

चाइल्ड़लाइन ने उस घर पर भीममण्ड़ी पुलिस थाने के सहयोग से बालिका को मुक्त करवाया। बालिका ने कांउसलिंग के दौरान बताया कि उसका नाम सावित्री सहरिया हैं। वह ग्राम बकनपुरा तह. भवंरगढ़ जिला बांरा की रहने वाली है। उसके पिता का नाम चतुरभुज सहरिया हैं। और वह सतेन्द्र सिंह सरदार के खेत में खेतिहर मजदूर का काम करते हैं। वही से मुझे तीन माह पूर्व घर का कार्य करवाने के लिए यहाँ कोटा लाये थे। बालिका ने आगे बताया कि वह घर में झाड़ू–पोछा,कपड़े धोना आदि कार्य करती हैं।उसने बताया कि उसे खाना मांगने पर ही दिया जाता था।

बालिका को इसके उपरान्त बाल कल्याण समिति कोटा, अध्यक्ष श्रीमति पुखराज भाटीया के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उसे बालिका गृह में अस्थाई आश्रय के आदेश प्रदान किये गए।

चाइल्ड़ लाईन कोटा द्वारा नियोक्ता के विरूद्ध भीममण्ड़ी थाने को मामला दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु उन्होने बालिका के मामले को दबाते हुए केस में इस्तगासा लगा दिया और नियोक्ता को भी बदल दिया जिसकी जानकारी बाल आयोग को दी गई परन्तु मामला श्रम विभाग में भी भेजा गया था इस लिए बालिका को दिनांक 13.2.13 को 10150/ रू. कम वेतन वह एर्वाड़ के रूप में 10150/ रू. दिलवाये गये तथा बालिका वर्तमान में घर जा चुकी हे और प्रसन्न हे।

Centre for Child Protection (CCP)
S-7, Mhoan Nagar, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Japur Rajasthan (India) 302018, Ph. : 0141-2974848

email: childprotection.spup@gmail.com